मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित

सामाजिक पुनर्वास कोष

हिंसा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास, चिकित्सा एवं उनके बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से यह कोष संचालित है।

इस कोष का उपयोग महिलाओं एवं उनके बच्चों के पुनर्वास (चिकित्सकीय, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में संरक्षण एवं सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। इसके माध्यम से लाभार्थियों की पहचान कर उनके सक्षम पुनर्वास की प्रक्रिया को बल देने की कोशिश की गई है। सामाजिक पुनर्वास कोष के तहत् सभी जिलों में राशि उपलब्ध कराते हुए जिलास्तर से उक्त राशि का वितरण किया जाता है। इस कोष की सहायता प्राप्त करने हेतु जिला स्तरीय महिला हेल्पलाईन से संपर्क किया जा सकता है।

महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित